उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों के लिए पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2015

पुरूषों के लिए पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2015 के अन्तर्गत विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थियों के कतिपय अभिलेखों का पुनः परीक्षण

संख्याःपीआरपीबीः भ-(आ)-प्रत्या-130/2016 दिनांकःजनवरी 07 , 2017

पुरूषों के लिए पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2015 के अन्तर्गत अपनी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की गयी थीं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के अभिलेखों का पुन: परीक्षण/शारीरिक मानक परीक्षण कराया जाना है, जिनसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैं:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	रि0या0सं0 व आदेश दिनांक	परीक्षण केन्द्र	परीक्षण केन्द्र पर उपस्थित होने का दिनांक व समय
1	जितेन्द्र यादव	00251654	49367/2016 दि0 07-10-2016	पुलिस लाइन, गोरखपुर	**08:00 12-01-2017**
2	मो0 शहवाज	00417774	50571/2016 दि0 21-10-2016	पुलिस लाइन, बरेली	**08:00 12-01-2017**
3	धर्मवीर	00020239	45465/2016 दि0 21-09-2016	पुलिस लाइन, बरेली	**08:00 12-01-2017**

2- उपरोक्तांकित अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र परीक्षण स्थल पर ही प्रदान किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी निम्नांकित अभिलेखों व फोटो पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षण स्थल पर **सुबह 08:00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें:-

सूचना/विज्ञप्ति में दिये गये निर्देश के क्रम में आपको अभिलेखों की संवीक्षा हेतु निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक-एक छायाप्रति परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

(क)	* हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
(ख)	* इण्टरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
(ग)	निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)-लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन हेतु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(घ)	आरक्षण दावा सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर (01 अप्रैल, 2015 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए)
(ड़)	अधिमानी अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि हो तो दावे के समर्थन हेतु)।
(च)	भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी दावे की पुष्टि में डिस्चार्ज/ सेवामुक्ति प्रमाण पत्र।
(छ)	होमगार्ड्स सम्बन्धी दावे की पुष्टि हेतु जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स द्वारा निर्गत होमगार्ड्स प्रमाण-पत्र (नियुक्ति प्रमाण-पत्र, जिसमें नियुक्ति की तिथि का अंकन हो)।
*	जिन अभ्यर्थियों के 10वीं या 12वीं के प्राप्तांक ग्रेड प्वाइंट में हों, उन्हें ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमाण-पत्र जो सम्बन्धित बोर्ड/संस्था से सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत हो, भी लाना अनिवार्य है।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।